

**HPFD-F05/232/2023-FC**

वन विभाग हिमाचल प्रदे ।।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अतिं० प्र० मुख्य  
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र० ।

प्रेषित: क्षेत्रीय अधिकारी,  
उप-कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय), चण्डीगढ़  
सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फैलालिक खण्ड, लौगबुड़,  
मला, हिमाचल प्रदे -१७१००१

दिनांक फैला-१

विषय: **Diversion of 5.4794 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Drawl to Jaishi kms 0/00 to 7/965, within the jurisdiction of Shimla Forest Division Distt. Shimla HP. (Proposal No. FP/HP/Road/143552/2021).**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 07/08/2024 के संदर्भ में जिसके माध्यम से विश्याधिन प्रस्ताव को सैन्दूतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्दूतिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

शर्त	उत्तर
प॑ वे भार्ती जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आव यकता है :	प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की राटा जमा करावाई है।
प॒ प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की जमा राटा जमा करावाई जाए।	
प॒ प॒ राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे गों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे गों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।
प॒ प॒ WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे । दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्दे । संख्या 5-3/2011-FC ( vol-I ) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का ऐजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 5.4794 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए ।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे । दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्दे । संख्या 5-3/2011-FC ( Vol-I ) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का ऐजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 5.4794 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए ।
प॒ प॒ प्रयोत्का ऐजेंसी सभी भुगतान रा गी पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट	प्रयोत्का ऐजेंसी सभी भुगतान रा गी पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट

	<p><a href="http://parivesh.nic.in">www.parivesh.nic.in</a> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।</p>	<p><a href="http://parivesh.nic.in">www.parivesh.nic.in</a> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।</p>
अ४	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट म.चवतजंस ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) मे अपलोड की जाए।	अप४ पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट म.चवतजंस ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) मे अपलोड कर ली है।
अप५	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक भुल्क (सीए लागत, एन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में विकार नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक भुल्क (सीए लागत, एन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा की गई है और केवल उपयुक्त बैंक में यह रा पी जमा कर ली है।
अप५	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि सम्बंग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की भारती के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं है। इस आय का एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए अनिवार्य होगा।	इस आय का एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास Stage-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
पग४	FRA 2006 की अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा।	FRA 2006 का अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा।
ठ४	वे भार्ते जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फिल्ड में कड़ाई से पालन करने की आव यकता हैं, परन्तु अडरेटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है।	वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
१४	वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।	
२४	काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की सख्तां किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की सख्तां किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
३४	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी०ए० योजना के 11 ha पर पौध रोपण का कार्य Block/compartment/Survey No-UPF-14 Bhara Darbla, VillageBhara Darabla, Bhaji Forest Range, Shimla Forest	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी०ए० योजना के 11 ha पर पौध रोपण का कार्य Block/compartment/Survey No-UPF-14 Bhara Darbla, VillageBhara Darabla, Bhaji Forest Range, Shimla Forest

	Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh, पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्ष रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा।	Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh, पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्ष रोपण किया जाएगा तथा स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का Monocultural नहीं होगा।
4 <sup>ए</sup>	प्रस्तावित सी०ए० भूमि, यदि राज्य वन विभाग के नाम है तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज, अन्यथा IFA, 1927 के अन्तर्गत अधिसूचित करा कर, तत्संबंधित दस्तावेज विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	प्रस्तावित सी०ए० भूमि, वन विभाग के नाम है, उससे सम्बन्धित दस्तावेज प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा अपलोड की गई अनुपालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
5 <sup>ए</sup>	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के०ए०ए०ल० फाईल को अपलोड की जाएगी।	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के०ए०ए०ल० फाईल को अपलोड की जाएगी। इस सन्दर्भ की बचनबद्धता संलग्न है।
6 <sup>ए</sup>	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
7 <sup>ए</sup>	माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देश गों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशी को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी राशी को जमा करना सुनिश्चित करेंगे।	माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देश गों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशी को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी राशी को जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
8 <sup>ए</sup>	State Govt shall provide the legible copy of the Administrative approval of the instant proposal, duly authenticated by competent authority.	The legible copy of the Administrative approval of the instant proposal, duly authenticated by competent authority is uploaded with the compliance report of Stage-I approval by the user agency.
9 <sup>ए</sup>	एवन्यू वृक्षरोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश I के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	एवन्यू वृक्षरोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
10 <sup>ए</sup>	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
11 <sup>ए</sup>	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
12 <sup>ए</sup>	वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक विवर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक विवर नहीं लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता

	अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
13 <sup>ए</sup> प्रयोत्का एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेगे, जिसके लिए प्रयोत्का एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनरा और उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेगे, जिसके लिए प्रयोत्का एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनरा और उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
14 <sup>ए</sup> परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
15 <sup>ए</sup> प्रयोत्का एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है।	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
16 <sup>ए</sup> प्रयोत्का एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोत्का एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
17 <sup>ए</sup> स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिंडे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंबों द्वारा चिह्नित की जाएंगी।	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिंडे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंबों द्वारा चिह्नित की जाएंगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
18 <sup>ए</sup> संरक्षित क्षेत्रों/वनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
19 <sup>ए</sup> प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएंगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएंगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
20 <sup>ए</sup> यदि आव यक हो तो प्रयोत्का एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आव यक हो तो प्रयोत्का एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
21 <sup>ए</sup> परियोजना के निर्माण से उत्तर्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैका जाएगा।	परियोजना के निर्माण से उत्तर्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैका जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
22 <sup>ए</sup> इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि प्रयोत्का एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	
23ण अन्य कोई भी भार्ता इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
24ण यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदे ।/अनुच्छेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
25ण इनमें से किसी भी भार्ता का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दि ानिंद । 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

अतः आपसे नियोगित है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं अतिरिक्त प्रमुख  
अरण्यपाल(एफ०सी०ए०)हिप्र०